**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**आर्थिक कार्य विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3529**
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

**मुद्रा के प्रचलन में वृद्धि**

3529. **श्री संजय दिना पाटीलः**
**प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः**
**श्रीमती सुप्रिया सुलेः**
**श्रीमती भास्कर मुरलीधर भगरेः**
**श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः**
**डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रचलन में कुल मुद्रा मार्च 2017 के 13.35 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2024 तक 35.15 लाख करोड़ रुपये हो गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि इसी अवधि के दौरान, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजिटल लेन-देन में तेजी से वृद्धि हुई है और कैलेंडर वर्ष 2024 में लगभग 172 बिलियन यूपीआई लेन-देन दर्ज किए गए हैं;

(ग) विशेष रूप से महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मुद्रा के प्रचलन में इतनी तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान वृद्धि के साथ-साथ नकदी के बढ़ते उपयोग की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) वित्तीय समावेशन और आर्थिक सुलभता को बनाए रखते हुए कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर क्रमिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2023-24 तक प्रचलन में मुद्रा का विवरण निम्नानुसार है:

| **निम्नलिखित स्थिति के अनुसार** | **प्रचलन में मुद्रा(₹ करोड़)** |
|---|---|
| 31मार्च, 2016 | 16,63,300 |
| 31मार्च, 2017 | 13,35,200 |
| 31मार्च, 2018 | 18,29,318 |
| 31मार्च, 2019 | 21,36,736 |
| 31मार्च, 2020 | 24,47,280 |
| 31मार्च, 2021 | 28,53,733 |
| 31मार्च, 2022 | 31,33,691 |
| 31मार्च, 2023 | 33,78,486 |
| 31मार्च, 2024 | 35,11,428 |

यूपीआई लेनदेन की मात्रा वित्त वर्ष 2017-18 के 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 13,116 करोड़ हो गई है, जिसमें वर्ष 2024 में 172 बिलियन यूपीआई लेनदेन किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, प्रचलन में मुद्रा में वृद्धि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की मांग के कारण होती है, और यह जीडीपी, मुद्रास्फीति, ब्याज दर आदि में वृद्धि से प्रेरित होती है। प्रचलन में मुद्रा के संबंध में राज्यवार आकड़ें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ड़): भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान में वृद्धि की तुलना में नकदी के उपयोग की प्रवृत्ति का विशिष्ट रूप से विश्लेषण करने वाला कोई अध्ययन नहीं कराया है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) डिजिटल भुगतान लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल करते रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना, अल्प-सेवित क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान संबंधी बुनियादी ढांचे के परिनियोजन में सहायता प्रदान करने के लिए भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) शामिल हैं। इसके अलावा, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने और उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए नकदी के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961, आयकर नियम, 1962 और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में कुछ प्रावधान/संशोधन किए गए हैं।

*****